21.5.18 को नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा कोटपूतली तहसील कार्यालय पर पेश हुई। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल किया गया। प्रकरणों का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी ने उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ को निर्देश दिये जाते हैं कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा प्रस्तुत किया है। उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची में वर्णित वादियों को जारी नोटिस वापसी दर्ज की जाती है। प्रकरण धारा 88 काश्तकारी अधिनियम में नहीं आता है। तहसीलदार कोटपूतली उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ के पत्रांक के नियमानुसार विधिक वादियों के नाम एन.के.के. की कार्यवाही कर प्रावली में कब और कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण को पत्रावली खारिज किया जाता है। प्रावली पर प्रकरण नम्बर चस्पा कर बस्ते में रखी जाए। निर्णय सभी को सुनाया गया।

21/5/18.

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली-बहरोड़

aipur/2449/2006

Scanned by CamScanner